

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड,

(जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून)

E-mail ig-jail-uk@nic.in / igprisonsuk@gmail.com

संख्या-1921 / 33 / महिला लै0उ0शि0 / 2022
सेवा में,

दिनांक 24 सितम्बर, 2024

निदेशक,

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड (ई-मेल dir.icds.ua@gmail.com)
नंदा की चौकी, सुद्धोवाला, देहरादून।

विषय:- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में याजित रिट याचिका संख्या-2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक c-1868 / वाद-7042 / W/P/ No. 2482/ 2014, 2023-24 दिनांक 07 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि इस विभाग के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों (कारागारों) में 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के अन्तर्गत 'आन्तरिक परिवाद समिति' गठित कर दी गयी हैं। समिति गठन सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

इस विभाग के कार्यालयों के नाम, परिवाद समितियों के पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, सम्पर्क नंबर एवं ई-मेल आई.डी. की संकलित सूचना निम्न तालिका में अंकित है:-

क्र0 स0	विभाग के अधीन कार्यालयों के नाम एवं ई-मेल आई.डी.	समिति के पदाधिकारियों के नाम एवं विभागीय पदनाम	गठित समिति में पदनाम	सम्पर्क नम्बर	ई-मेल आई0डी0
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड मेल आई.डी.- (1) igprisonsuk@ gmail.com (2) <a href="mailto:ig-jail-uk@
nic.in">ig-jail-uk@ nic.in	1-श्रीमती गंगोत्री महिला कल्याण अधिकारी 2-श्री रणजीत सिंह प्रशासनिक अधिकारी 3-श्रीमती प्रीति रावत वरिष्ठ सहायक 4-श्रीमती गिरबाला जुयाल मनूर्भव सामाजिक संस्था	पीठासीन अधिकारी सदस्य सदस्य सदस्य	7534011347 9119756799 8909310773 7500677947	gangogwal2003@gmail.com ranjeetsinghsajwan69@gmail.com preeti44ee@gmail.com manubhav.doon@gmail.com
2.	सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार सितारगंज मेल आई.डी.- (1) saicampstg@ gmail.com (2) <a href="mailto:ssc-stg-uk@
nic.in">ssc-stg-uk@ nic.in	1-कु0 रिंकी प्रधान महिला बन्दीरक्षक 2-श्री अनिल कुमार यादव प्रधान बन्दीरक्षक 3-श्रीमती नीमा टम्टा महिला प्रधान बन्दीरक्षक 4-कु0 कविता उपनल सुरक्षा कर्मी	पीठासीन अधिकारी सदस्य सदस्य सदस्य	9927444523 9410510121 7535995747 7409618632 7017691683	saicampstg@gmail.com saicampstg@gmail.com saicampstg@gmail.com kavitabawa44@gmail.com

		5-कु0 संजना महिला बन्दीरक्षक	सदस्य	9690955794	sanjana842000@gmail.com
		6-श्रीमती मनोरमा गुप्ता अधिवक्ता	सदस्य	7017686187	guptamanorama56@gmail.com
3.	जिला कारागार देहरादून मेल आई.डी.- (1) sdjdoon@ gmail.com (2) sdj-ddn-uk@ nic.in	1-श्रीमती मिनी चौहान फार्मासिस्ट	पीठासीन अधिकारी	8445337952	rawatmini1986@gmail.com
		2-श्री गम्भीर सिंह खरोला प्रधान सहायक	सदस्य	9412323187	gambhirkharola@gmail.com
		3-श्रीमती संध्या नेगी महिला प्रधान बन्दीरक्षक	सदस्य	7895588726	negisandhya1326@gmail.com
		4-श्रीमती गिरवाला जुयाल मनुर्भव सामाजिक संस्था	सदस्य	7500677947	manurbhav.doon@gmail.com
4.	जिला कारागार हरिद्वार मेल आई.डी.- (1) sdjhdr9@ gmail.com (2) sdj-hdr-uk@ nic.in	1- श्रीमती कमलेश लता पंवार महिला प्रधान बन्दीरक्षक	पीठासीन अधिकारी	9456553919	kamleshpanwar009@gmail.com
		2- श्री प्यारे लाल आर्य उपकारापाल	सदस्य	9760992812	pyarelalarya537@gmail.com
		3- श्री दर्शन सिंह रावत प्रधान बन्दीरक्षक	सदस्य	9759727596	darshanrawat011@gmail.com
		4- श्रीमती रेखा शर्मा सहा0 लेखाकार	सदस्य	7310806563	1925vire@gmail.com
		5- श्रीमती सोनिया महिला प्रधान बन्दीरक्षक	सदस्य	8057723679	soniyayadav2282@gmail.com
		6- श्रीमती मनु शर्मा शिवपुरी मनु मन की आवाज फाउंडेशन हरिद्वार	सदस्य	9675162634	manuhrd7@gmail.com
5.	जिला कारागार टिहरी गढ़वाल मेल आई.डी.- (1) sdj-teh-uk@ nic.in	1-सुश्री दीपाली बड़शिलिया उपकारापाल	पीठासीन अधीकारी	9897443112	deepalibarshilia5@gmail.com
		2-श्री नितिन चौहान कनिष्ठ सहायक	सदस्य	8171161674	chauhanrulztheworld@gmail.com
		3-श्रीमती बीना राणा अधिवक्ता	सदस्य	9412920707	binarana1965@gmail.com
		4-सुश्री निवेदिता पंवार सर्वजन हिताय सामाजिक संस्था, टिहरी गढ़वाल	सदस्य	7060348679	niveditabhandari05@gmail.com
6.	जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल मेल आई.डी.- (1) districtjailpauri@ gmail.com (2) sdj-pau- uk@ nic.in	1-कु0 पूजा रावत महला बन्दीरक्षक	पीठासीन अधिकारी	9690766532	pr940211@gmail.com
		2- श्री निमिष पंत वरिष्ठ सहायक	सदस्य	9410556489	goodman4us@gail.com
		3-कु0 पिकी महिला बन्दीरक्षक	सदस्य	8941917502	pinkykspo@gmail.com

7	जिला कारागार चमोली मेल आई.डी.- (1) karagarchamoli@gmail.com (2) sdj-cha-uk@nic.in	1-श्रीमती अंकिता रानी महिला प्रधान बन्दीरक्षक	पीठासीन अधिकारी	9627831374	ankitarani286@gmail.com
		2-श्री डुवर राम फार्मासिस्ट	सदस्य	9105682607	duwararya@gmail.com
		3-श्री शंकर सिंह मनराल पैनल अधिवक्ता	सदस्य	9897197646	shankarmanral@gmail.com
		4-कु0 पूनम मेहता महिला बन्दीरक्षक	सदस्य	6399433975	poonammehta7900@gmail.com
		5-कु0 अनिता महिला बन्दीरक्षक	सदस्य	8979443607	anitaannu1121@gmail.com
		6-कु0 सुजाता महिला बन्दीरक्षक	सदस्य	8868852635	sujatadolke@gmail.com
8.	जिला कारागार अल्मोड़ा मेल आई.डी.- (1) sdjalmora@gmail.com (2) sdj-alm-uk@nic.in	1-कु0 सोनम महिला बन्दीरक्षक	पीठासीन अधिकारी	9639163274	kmsonam870@gmail.com
		2-श्री रविन्द्र प्रसाद रणकोटी प्रधान बन्दीरक्षक	सदस्य	9639604477	ravindrprasad2541984@gmail.com
		3-कु0 दिव्या चौहान महिला बन्दीरक्षक	सदस्य	6397964723	chauhandivya4464@gmail.com
		4-श्रीमती तुलसी चौहरी अधिवक्ता	सदस्य	8272874648	tulsijohari504@gmail.com
9.	जिला कारागार नैनीताल मेल आई.डी.- (1) districtjainainital@gmail.com (2) sdj-nai-uk@nic.in	1-श्रीमती विमला गोस्वामी प्रधान सहायक	पीठासीन अधिकारी	8791278192	districtjainainital@gmail.com
		2-श्री सत्यवीर सिंह उप कारापाल	सदस्य	7895185977	districtjainainital@gmail.com
		3-श्री मोहिन्द्र सिंह बोरा बन्दीरक्षक	सदस्य	8171338839	districtjainainital@gmail.com
		4-श्रीमती तुलसी बिष्ट उपनल सुरक्षाकर्मी	सदस्य	8218883615	districtjainainital@gmail.com
		5-कु0 किरन आर्या अधिवक्ता	सदस्य	9720442025	aryakiran054@gmail.com
10.	उप कारागार रूड़की मेल आई.डी.- (1) roorkeejail@gmail.com (2) ssj-rke-uk@nic.in	1-श्रीमती योगिता गुरुरानी उप कारापाल	पीठासीन अधिकारी	7579102269	yogitagururani1993@gmail.com
		2-श्रीमती सुमन जन्तवाल महिला प्रधान बन्दीरक्षक	सदस्य	7017429597	sumanjantwal20@gmail.com
		3-कु0 शोभा आर्या महिला बन्दीरक्षक	सदस्य	9193213466	sobhasyl@gmail.com
		4-श्री कुशीलाल चीफ फार्मासिस्ट	सदस्य	7500694760	drklshah4@gmail.com
11.	उप कारागार हल्द्वानी मेल आई.डी.- (1) Subjailhld@gmail.com (2) ssj-hld-uk@nic.in	1-श्रीमती आशा मेहता महिला प्रधान बन्दीरक्षक	पीठासीन अधिकारी	7906546104	ashumehta888@gmail.com
		2-श्री कमल सिंह चौहान चीफ फार्मासिस्ट	सदस्य	7533920009	subjailhld@gmail.com
		3-सुश्री शिवानी बिष्ट फार्मासिस्ट (उपनल)	सदस्य	9720576448	shivanibisht000@gmail.com

	4-श्रीमती नीरजा बोरा ममता करुणा सहयोग समाजिक संस्था, हल्द्वानी	सदस्य	7351522274	t12fasiondesiner@gmail.com
--	--	-------	------------	----------------------------


2- ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :- लैंगिक उत्पीड़न के सम्बन्ध में विभाग की कोई भी महिला कर्मचारी/शिकायतकर्ता अपनी शिकायत अपने तैनाती स्थान के कार्यालय के ई-मेल पते या पीठासीन अधिकारी के ई-मेल पते पर सीधे ऑनलाइन प्रेषित कर सकती है।

लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित निर्गत निर्देशों को विभागीय वेबवसाइट <http://prison.uk.gov.in> पर अपलोड कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रचार-प्रसार/जागरूकता हेतु आन्तरिक परिवाद समिति के गठन सम्बन्धी आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों/कारागार अधीक्षकों को भी निर्देशित किया जा रहा है।

अतः इस विभाग के मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों (कारागारों) में गठित 'आन्तरिक परिवाद समिति' से सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां इस अनुरोध के साथ संलग्न प्रेषित हैं कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

 23/9/22

(दधिराम)

उप महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड।

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड,
(जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून)
E-mail ig-jail-uk@nic.in & igprisonsuk@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- 1572/33/म0उ0शिकायत/2022


दिनांक 25 नवम्बर, 2023

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1992 दिनांक 15.07.2022 द्वारा इस मुख्यालय में गठित 'आंतरिक परिवाद समिति' को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम, न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में उक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत नई 'आंतरिक परिवाद समिति' निम्नवत गठित की जाती है:-

1. श्रीमती गंगोत्री, महिला कल्याण अधिकारी, मुख्यालय-
2. श्री रणजीत सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय-
3. श्रीमती प्रीति रावत, कनिष्ठ सहायक, मुख्यालय-
4. श्रीमती गिरबाला जुयाल, मनुर्भव सामाजिक संस्था, देहरादून -

पीठासीन अधिकारी
सदस्य,
सदस्य,
सदस्य,


2- समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह कारागार मुख्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों का निराकरण उक्त अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार करेगी।



(विमला गुंज्याल)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।
25/11/2023

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्रीमती गंगोत्री, महिला कल्याण अधिकारी, मुख्यालय+
- 2- श्री रणजीत सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- श्रीमती प्रीति रावत, कनिष्ठ सहायक,, मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
- 4- श्रीमती गिरबाला जुयाल, मनुर्भव सामाजिक संस्था, देहरादून निवासी-मनुर्भव विहार लेन नं0-2, जेल रोड सुद्धोवाला, देहरादून-248015, मो0न0- 750077947 ।
- 5- गार्ड फाइल।


(विमला गुंज्याल)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।





E mail:- ssci-stg-uk@nic.in, saicampstg@gmail.com
Phone No:- 05948-297001

कार्यालय, अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार, सितारगंज, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

कार्यालय आदेश

दिनांक:- 13.09.2024

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 दिनांक 22.04.2013, भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय का राजपत्र संख्या-18, दिनांक 23.04.2013 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 29.12.2014 के अनुसार अधिनियम की धारा-4(1) के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति के गठन किये जाने हेतु निर्गत निर्देशानुपालन में सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार, सितारगंज पर निम्नानुसार 'आन्तरिक परिवाद समिति' गठित की जाती है:-

1. कु0 रिंकी, प्रधान महिला बंदीरक्षक, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज। पीठासीन अधिकारी
2. श्री अनिल कुमार यादव, प्रभारी जेलर, सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार, सितारगंज। सदस्य
3. श्रीमति नीमा टम्टा, प्रधान महिला बंदीरक्षक, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज। सदस्य
4. कु0 कविता, उपनल सुरक्षाकर्मी, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज। सदस्य
5. कु0 संजना, महिला बंदीरक्षक, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज। सदस्य
6. श्रीमति मनोरमा गुप्ता, सिविल कोर्ट परिसर, सितारगंज। सदस्य

उक्त 'आन्तरिक परिवाद समिति' महिलाओं के यौन उत्पीड़न(शिकायत निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में समय-समय पर बैठक कर शिकायती प्रकरणों को ससमय निस्तारित करेगी।

(अनुराग मलिक)

अधीक्षक,

सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार,
सितारगंज, उधमसिंहनगर।

तददिनांकित।

पू0सं0:- /महिला यौन उत्पीड़न- आन्तरिक परिवाद समिति गठन
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून महोदया को उनके पत्र दिनांक 12.09.2024 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अनिल कुमार यादव, प्रभारी जेलर, सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार, सितारगंज।
3. श्रीमति नीमा टम्टा, प्रधान महिला बंदीरक्षक, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज।
4. कु0 कविता, उपनल सुरक्षाकर्मी, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज।
5. कु0 संजना, महिला बंदीरक्षक, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज।
6. श्रीमति मनोरमा गुप्ता, सिविल कोर्ट परिसर, सितारगंज आवासी- पता-पंडरी, सितारगंज।
7. प्रचार प्रसार वास्तु सूचना पट हेतु।
8. कार्यालय प्रति।
9. कु0 रिंकी, 9.9.24, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज।

(अनुराग मलिक)

अधीक्षक,

सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार,
सितारगंज, उधमसिंहनगर।

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक:- 23.07.2022

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 दिनांक 22.04.2013 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय का राजपत्र संख्या-18, दिनांक-23.04.2013 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासनादेश दिनांक-29.12.2014 के अनुसार अधिनियम की धारा-4(1) के लिए जिला कारागार, देहरादून में निम्नवत् आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है :-

- | | |
|--|-----------------|
| 1 श्रीमती मिनी चौहान, फार्मासिस्ट, जिला कारागार देहरादून- | पीठासीन अधिकारी |
| 2 श्री गम्भीर सिंह खरोला, वरिष्ठ सहायक, जिला कारागार देहरादून- | सदस्य |
| 3 श्रीमती संध्या नेगी, महिला प्रधान बन्दीरक्षक, जिला कारागार देहरादून- | सदस्य |
| 4 श्रीमती गिरवाला जुयाल, मनुर्भव सामाजिक संस्था, सुद्धोवाला, देहरादून- | सदस्य |

2- उक्त 'आंतरिक परिवाद समिति' महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में बैठक कर प्रकरणों को समय से निस्तारित करेगी ।

(दधिराम)

उप महानिरीक्षक कारागार/
वरिष्ठ अधीक्षक
जिला कारागार, देहरादून ।

कार्यालय, वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, देहरादून ।

पू0संख्या- 2715 / म0का0स्थललै0उ0पत्रा0 / कारा0-देहरादून / 2022, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड को उनके कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-15.07.2022 पत्र संख्या-1992/33/म0उ0शिकायत/2022 के अनुपालन में सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 2- श्रीमती मिनी चौहान, फार्मासिस्ट, जिला कारागार, देहरादून ।
- 3- श्री गम्भीर सिंह खरोला, वरिष्ठ सहायक, जिला कारागार, देहरादून ।
- 3- श्रीमती संध्या नेगी, महिला प्रधान बन्दीरक्षक, जिला कारागार, देहरादून ।
- 4- श्रीमती गिरवाला जुयाल, मनुर्भव सामाजिक संस्था, निवासी-मनुर्भव विहार लेन नं0-2, जेल रोड, सुद्धोवाला, देहरादून-248015 । - MOB - 7500677947
- 6- कार्यालय सूचना पट हेतु ।
- 7- कार्यालय प्रति ।

वरिष्ठ अधीक्षक
जिला कारागार, देहरादून ।

कार्यालय-ज्ञाप

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में अधिनियम के अध्याय-2 की धारा-4 के अनुसार जिला कारागार, हरिद्वार में एक 'आन्तरिक परिवार समिति' का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1- श्रीमती कमलेश लता पंवार	-	पीठासीन अधिकारी
2- श्री प्यारे लाल आर्य	-	सदस्य
3- श्री दर्शन सिंह रावत	-	सदस्य
4- श्रीमती रेखा शर्मा	-	सदस्य
5- श्रीमती सोनिया	-	सदस्य
6- श्रीमती मनु शर्मा शिवपुरी	-	सदस्य

उपरोक्त समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा। गैर-सरकारी संगठनों से नियुक्त सदस्य को आन्तरिक परिवार समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए अधिनियम/शासनादेशानुसार उनको अनुमन्य भत्ते का भुगतान किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मनोज कुमार आर्य)

वरिष्ठ अधीक्षक,

जिला कारागार, हरिद्वार।

कार्यालय, वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार।

संख्या-5039/1/आन्तरिक परिवार समिति/हरिद्वार/2024 दिनांक 12.09.2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- श्री प्यारे लाल आर्य, उप कारापाल, जिला कारागार, हरिद्वार।
- 3- श्रीमती कमलेश लता पंवार, महिला प्रधान बंदीरक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार।
- 4- श्रीमती रेखा शर्मा, सहायक लेखाकार, जिला कारागार, हरिद्वार।
- 5- श्रीमती सोनिया, महिला प्रधान बंदीरक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार।
- 6- श्री दर्शन सिंह रावत, प्रधान बंदीरक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार।
- 7- श्रीमती मनु शर्मा शिवपुरी, मनु मन की आवाज फाउंडेशन, हरिद्वार।

(मनोज कुमार आर्य)

वरिष्ठ अधीक्षक,

जिला कारागार, हरिद्वार।

By. E. Mail

॥ कार्यालय अधीक्षक, जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल ॥

पत्रांक: 1050 / महिला लै0उ0शि0 / 2024
सेवा में,

दिनांक: 21 सितम्बर, 2024

उप महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-2482/2014 में पारित आदेश दिनांक: 12.05.2024 के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जिला कारागार, पौड़ी में आन्तरिक परिवाद समिति के गठन की सूचना का प्रेषण।

महोदय,


उपरोक्त विषयक उप महानिरीक्षक

कार्यालय अधीक्षक, जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय आदेश संख्या-1046/महिला लै0उ0शि0/2024 दिनांक: 21.09.2024 के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 तथा इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-2482/2014 में पारित आदेश दिनांक-12.05.2023 के अनुपालन में जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल में उक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत नई "आंतरिक परिवाद समिति" गठित की गयी है। समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है-

क्र0 सं0	समिति के पदाधिकारियों/ सदस्यों के नाम	पदनाम	संपर्क नम्बर	ई-मेल आई0डी0
01	श्री पूजा रावत (पीठासीन अधिकारी)	महिला बन्दीरक्षक	9690766532	pr940211@gmail.com
02	श्री निमिष पन्त (सदस्य)	वरिष्ठ सहायक	9410556489	goodman4us@gmail.com
03	कु0 पिंकी (सदस्य)	महिला बन्दीरक्षक	8941917502	pinkykspo@gmail.com

अतः सूचना उपरोक्तानुसार सादर प्रेषित है।

भवदीय


(डी0पी0सिन्हा)

प्रभारी अधीक्षक

जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय, अधीक्षक, जिला कारागार, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय-ज्ञाप


दिनांक- 13.09.2024

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1618/33/म0लै0उ0शि0/2022, दिनांक-27.10.2023 के क्रम में महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (शिकायत निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013, दिनांक-22.04.2013, भारत विधि एवं न्याय मंत्रालय का राजपत्र संख्या-18, दिनांक-23.04.2013 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासनादेश दिनांक-29.12.2014, के अनुसार अधिनियम की धारा-4(1) के अन्तर्गत महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) के लिए जिला कारागार, नई टिहरी में निम्नवत् आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है-

1. सुश्री दीपाली बड़शिलिया, उप कारापाल, जिला कारागार, नई टिहरी - पीठासीन अधिकारी
2. श्री नितिन चौहान, क0सहा0 जिला कारागार, नई टिहरी - सदस्य
3. श्रीमती बीना राणा, अधिवक्ता, मा0 न्यायालय परिसर, टिहरी गढ़वाल - सदस्य
4. सुश्री निवेदिता पंवार, सर्वजन हिताय संस्था, गौतम रेजिडेन्सी, टिहरी गढ़वाल - सदस्य

गैर सरकारी संगठन से नामित समिति के सदस्य को आंतरिक परिवाद समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200/- (रूपये दो सौ मात्र) का भत्ता तथा वातानुकूलित बस तथा टैक्सी से अथवा यात्रा पर खर्च की गयी वास्तविक राशि, जो भी कम हो, जिला कारागार, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।


उक्त आंतरिक परिवाद समिति महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों के सम्बंध में बैठक कर प्रकरणों को समय से निस्तारित करेगी।



अधीक्षक,
जिला कारागार नई टिहरी
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक- 17130/1713(✓)
/म0उ0शिका0/2024- 25 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सुश्री दीपाली बड़शिलिया, उप कारापाल, जिला कारागार, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
3. श्री नितिन चौहान, कनिष्ठ सहायक, जिला कारागार, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
4. श्रीमती बीना राणा, अधिवक्ता, मा0 न्यायालय परिसर, जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. सुश्री निवेदिता पंवार, सर्वजन हिताय संस्था, गौतम रेजिडेन्सी, नई टिहरी रोड, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।


अधीक्षक


अधीक्षक,
जिला कारागार, नई टिहरी
टिहरी गढ़वाल।


कार्यालय आदेश

दिनांक:18.09.2024

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-2482/2014 में पारित आदेश दिनांक:12.05.2023 के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 दिनांक:22.04.2013 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय का राजपत्र संख्या-18, दिनांक:23.04.2013 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-29.12.2014 के अनुसार अधिनियम की धारा-4(1) के अन्तर्गत आन्तरिक परिवार समिति के गठन एवं संचालन किये जाने के निर्देशानुपालन में जिला कारागार चमोली पर निम्नवत् आन्तरिक परिवार समिति गठित की जाती है-

1. श्रीमती अंकिता रानी, प्रधान महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार चमोली - पीठासीन अधिकारी
2. श्री डुवर राम, फार्मासिस्ट, जिला कारागार चमोली - सदस्य
3. कु0 पूनम मेहता, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार चमोली - सदस्य
4. कु0 अनिता, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार चमोली - सदस्य
5. कु0 सुजाता, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार चमोली - सदस्य
6. श्री शंकर सिंह मनराल, पैनल अधिवक्ता, गोपेश्वर (चमोली) - सदस्य





2- उक्त आंतरिक परिवार समिति महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों को उक्त अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ठीक कर समय से निस्तारित करेगी।



19-9-24
(त्रिलोक चन्द्र आर्य)
प्रभारी कारापाल
जिला कारागार चमोली

कार्यालय, अधीक्षक, जिला कारागार चमोली।

संख्या- 744 /आ0परि0समिति0/जि0का0/चमोली/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- (1) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक:12.09.2024 के अनुपालन में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (2) श्री डुवर राम, फार्मासिस्ट, जिला कारागार चमोली। 
- (3) श्री शंकर सिंह मनराल, पैनल अधिवक्ता, गोपेश्वर, (चमोली)।
- (4) श्रीमती अंकिता रानी, प्र0म0 बंदीरक्षक, जिला कारागार चमोली। 
- (5) कु0 पूनम मेहता, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार चमोली 
- (6) कु0 अनिता, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार चमोली।
- (7) कु0 सुजाता, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार चमोली। 
- (8) कार्यालय प्रति।


19-9-24
(त्रिलोक चन्द्र आर्य)
प्रभारी कारापाल
जिला कारागार चमोली



फैक्स/टेलीफोन नं० - 05942 235198

ई-मेल-districtjainainital@gmail.com

कार्यालय, अधीक्षक जिला कारागार नैनीताल, उत्तराखण्ड

कार्यालय आदेश

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध) अधिनियम 2013 दिनांक- 22.04.2013 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय का राजपत्र संख्या-18, दिनांक- 23.04.2013 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 29.12.02014 के अनुसार अधिनियम की धारा-4(1) के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति के गठन किये जाने हेतु निर्गत निर्देशानुपालन में जिला कारागार नैनीताल पर 'आन्तरिक परिवाद समिति' गठित की जाती है-

- | | | | |
|-----|--|---|-----------------|
| 01- | श्रीमती विमला गोस्वामी, प्रधान सहायक, जिला कारागार नैनीताल | - | पीठासीन अधिकारी |
| 02- | श्री सत्यवीर सिंह, उप कारापाल, जिला कारागार नैनीताल | - | सदस्य |
| 03- | श्री मोहिन्द्र सिंह बोरा, बन्दीरक्षक, जिला कारागार नैनीताल | - | सदस्य |
| 04- | श्रीमती तुलसी बिष्ट, उपनल सुरक्षाकर्मी, जिला कारागार नैनीताल | - | सदस्य |
| 05- | कु० किरन आर्या, विद्वान अधिवक्ता, सिविल कोर्ट परिसर, नैनीताल | - | सदस्य |

उक्त 'आन्तरिक परिवाद समिति' महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में समय-समय पर बैठक कर शिकायती प्रकरणों को ससमय से निस्तारित करेगी।

(संजीव सिंह हयांकी)

प्रभारी अधीक्षक

जिला कारागार नैनीताल।

पृ०संख्या- 783 /महिला यौन उत्पीड़न-आंतरिक परिवाद समिति गठन/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून महोदया को उनके पत्र दिनांक 12.09.2024 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्रीमती विमला गोस्वामी, प्रधान सहायक, जिला कारागार नैनीताल।
03. श्री सत्यवीर सिंह, उप कारापाल, जिला कारागार नैनीताल।
04. श्री मोहिन्द्र सिंह बोरा, बन्दीरक्षक, जिला कारागार नैनीताल।
05. श्रीमती तुलसी बिष्ट, उपनल सुरक्षाकर्मी, जिला कारागार नैनीताल।
06. कु० किरन आर्या, विद्वान अधिवक्ता, सिविल कोर्ट परिसर, नैनीताल।
07. प्रचार प्रसार वास्ते सूचना पट हेतु।
08. कार्यालय प्रति।

(संजीव सिंह हयांकी)

प्रभारी अधीक्षक

जिला कारागार नैनीताल।

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 08.08.2024

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 दिनांक 22.04.2013 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय का राजपत्र संख्या-18, दिनांक-23.04.2013 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासनादेश दिनांक-29.12.2014 के अनुसार अधिनियम की धारा-4 (1) के लिए जिला कारागार अल्मोड़ा में निम्नवत् आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है-

1. कु0 सोनम, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार अल्मोड़ा - पीठासीन अधिकारी
2. श्री रविन्द्र प्रसाद रणाकोटी, बंदीरक्षक, जिला कारागार अल्मोड़ा - सदस्य
3. कु0 दिव्या चौहान, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार अल्मोड़ा - सदस्य
4. श्रीमती तुलसी जौहरी, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय अल्मोड़ा - सदस्य

2- उक्त आंतरिक परिवाद समिति महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में बैठक कर प्रकरणों को समय से निस्तारित करेगी।

(जयंत पांगती)

अधीक्षक
जिला कारागार अल्मोड़ा

कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार अल्मोड़ा।

पू0संख्या-3200-3205 / म0का0स्थल0उ0स0 / कारा0अल्मोड़ा / 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को उनके कार्यालय ज्ञाप दिनांक-15.07.2022 पत्र संख्या-1992/33/म0उ0शिकायत/2022 के अनुपालन में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी अल्मोड़ा, कार्यालय जिला अधिकारी अल्मोड़ा।
3. श्रीमती तुलसी जौहरी अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय अल्मोड़ा।
4. कु0 सोनम, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार अल्मोड़ा।
5. श्री रविन्द्र प्रसाद रणाकोटी, बंदीरक्षक जिला कारागार अल्मोड़ा।
6. कु0 दिव्या चौहान, महिला बंदीरक्षक, जिला कारागार अल्मोड़ा।
7. कार्यालय सूचना पट हेतु।
8. कार्यालय प्रति।

(जयंत पांगती)

अधीक्षक
जिला कारागार अल्मोड़ा

श्री लक्ष्मण

15/8/24



☎ - 8393920202

✉-subjailhld@gmail.com

कार्यालय, अधीक्षक, उप कारागार, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड)

आदेश सं०- 3377 /आन्तरिक परिवाद समिति/2024


दिनांक- 13.09.2024

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारक एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 दिनांक 22.04.2013, भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय का राजपत्र सं०-18, दिनांक 23.04.2013 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासनदेश दिनांक 29.12.2014 के अनुसार अधिनियम की धारा-4(1) के अन्तर्गत महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) के लिये उप कारागार, हल्द्वानी में निम्नवत् आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है।

- | | |
|--|-------------------|
| 01. श्रीमती आशा मेहता, महिला प्रधान बंदीरक्षक, उप कारागार, हल्द्वानी | - पीठासीन अधिकारी |
| 02. श्री कमल सिंह, चीफ फार्मासिस्ट, उप कारागार, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 03. सुश्री शिवानी बिष्ट, फार्मासिस्ट (उपनल), उप कारागार, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 04. श्रीमती नीरजा बोरा, ममता करुणा सहयोग समिति, एन.जी.ओ., हल्द्वानी | - सदस्य |

उक्तानुसार गठित आन्तरिक परिवाद समिति महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों के संबंध में बैठक कर प्रकरणों का समय से निस्तारण करेगी।



13/09/24
(प्रमोद कुमार)
अधीक्षक

उप कारागार, हल्द्वानी।

पृ०सं०- /आन्तरिक परिवाद समिति/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्रीमती आशा मेहता, महिला प्रधान बंदीरक्षक, उप कारागार, हल्द्वानी।
02. श्री कमल सिंह, चीफ फार्मासिस्ट, उप कारागार, हल्द्वानी।
03. सुश्री शिवानी बिष्ट, फार्मासिस्ट (उपनल), उप कारागार, हल्द्वानी।
04. श्रीमती नीरजा बोरा, ममता करुणा सहयोग समिति, हल्द्वानी।


(प्रमोद कुमार)

अधीक्षक

उप कारागार, हल्द्वानी।


कार्यालय अधीक्षक, उपकारागार रुडकी, जनपद हरिद्वार।

पत्रांक:-

/ मु0का0-महिला लै0उ0शि0 / समिति / 2024

दिनांक-13.09.2024

कार्यालय ज्ञाप

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिताष) अधिनियम 2013 दिनांक-22.04.2013 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय का राजपत्र संख्या-18, दिनांक-23.04.2013 तथा महिला सशक्तिकरण एवं विकास विभाग उत्तराखण्ड शासनादेश दिनांक-29.12.2014 के अनुसार अधिनियम की धारा-4 (1) के लिए उप कारागार रुडकी में निम्नवत् आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है-

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. श्रीमती योगिता गुरुरानी, उप जेलर, उप कारागार रुडकी | - | पीठासीन अधिकारी |
| 2. श्रीमती सुमन जन्तवाल, महिला प्रधान बंदीरक्षक | - | सदस्य |
| 3. कु0 शोभा आर्या, महिला बंदीरक्षक | - | सदस्य |
| 4. श्री कुशीलाल, चीफ फार्मासिस्ट | - | सदस्य |

2- उक्त आंतरिक परिवाद समिति महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध और प्रतिताष) के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में बैठक कर प्रकरणों को समय से निस्तारित करेगी।

(जय प्रकाश द्विवेदी)

प्रभारी अधीक्षक

उप कारागार रुडकी।

पू0सं0-1047 / मु0का0-महिला लै0उ0शि0 / समिति / 2024,

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को उनके कार्यालय ज्ञाप दिनांक-15.07.2022 पत्र संख्या-1992 / 33 / मु0उ0शिकायत / 2022 के अनुपालन में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्रीमती योगिता गुरुरानी, उप जेलर, उप कारागार रुडकी।
3. श्रीमती सुमन जन्तवाल, महिला प्रधान बंदीरक्षक, उप कारागार रुडकी।
4. कु0 शोभा आर्या, महिला बंदीरक्षक, उप कारागार रुडकी।
5. श्री कुशीलाल, चीफ फार्मासिस्ट, उप कारागार रुडकी।
6. गार्ड फाइल।

(जय प्रकाश द्विवेदी)

प्रभारी अधीक्षक

उप कारागार रुडकी।